अधिसूचना सं. 11/2010 [एफ.सं. 203/160/2009 आईटीए-II], दिनांक 24-2-2010

यह सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि संगठन एशियन हेल्थ केयर फाउंडेशन, हैदराबाद को केंद्र सरकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजन के लिए आयकर नियम, 1962 (उक्त नियम) के नियम 5ग और 5ड़ के साथ पठित, मूल्यांकन वर्ष 2008-09 से आगे 'अन्य संस्थान' की श्रेणी में आंशिक रूप से अनुसंधान गतिविधियों में संलग्न संस्थान के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित किया गया है, अर्थात्:-

(*i*) अनुमोदित संगठन को भुगतान की गई राशि का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा;

(*ii*) अनुमोदित संगठन अपने संकाय सदस्यों या अपने नामांकित छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा;

(*iii*) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशि के संबंध में अलग खाता बही रखेगा, उसमें अनुसंधान करने के लिए उपयोग की गई राशि दर्शाएगा, ऐसी बहियों का उक्त अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) की व्याख्या में परिभाषित लेखाकार से लेखा परीक्षा कराएगा और ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अंतर्गत आयकर विवरणी भरने की निर्धारित तिथि तक मामले की अधिकारिता रखने वाले आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा;

(*iv*) अनुमोदित संगठन प्राप्त दान और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए लागू की गई राशि का अलग विवरण रखेगा और ऐसे विवरण की एक प्रति लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित करके उपरोक्त निर्दिष्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ संलग्न करेगा।

2.केंद्र सरकार अनुमोदन वापस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन:-

(*a*) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में निर्दिष्ट अलग खाता बही रखने में विफल रहता है; या

(*b*) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में संदर्भित अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल होता है; या

(*c*) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में संदर्भित प्राप्त दान और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए लागू राशि का विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

(*d*) अपनी अनुसंधान गतिविधियाँ जारी रखना बंद कर देता है या उसकी अनुसंधान गतिविधियाँ वास्तविक नहीं पाई जाती हैं; या

(*e*) उक्त नियमों के नियम 5ग और 5ङ के साथ पढ़े गए उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (*ii*) के उपबंधों के अनुरूप और उनका अनुपालन करना बंद कर देता है।

■■